## न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
## श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

**पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}**

**प्रकरण संख्या : 64/2019**

| प्रार्थी बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|
| 1. कृष्ण राम पुत्र ईशर राम जाति नायक निवासी चक 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर। | 1. अमरजीत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर।<br>2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

तारीख रजू:- 23.10.2019

**उपस्थित: 1.श्री रामदास सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी**

**--निर्णय--** दिनांकः 31/03/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 4 वीं की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 6 का मुरब्बा नम्बर 8 का किला नम्बर 1 ता 21 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 22 व 23 प्रत्येक 0.252 हैक्टर कुल 5.817 हैक्टर नहरी रकबा व इसी चक के खाता संख्या 16 के मुरब्बा 8 के किला नम्बर 24,25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर बारानी कुल 0.506 हैक्टर बारानी रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1 ता 25 के सम्पूर्ण रकबा पर पिछले कई वर्षो से प्रार्थी के पिता ईशर राम द्वारा फसल काश्त की जा रही थी, और वर्तमान में प्रार्थी द्वारा अपने पिता की मृत्यू के पश्चात उक्त रकबा पर फसल काश्त की जा रही है। अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के यहां पूर्व में स्वीकृत रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर पटवारी हल्का 8 वीं द्वारा झूठी रिपोर्ट दी है कि आदेश क्रमांक/राज/अभि./रास्ता/78 के जरिये चक 4 वीं के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 3, 8, 14, 16, 25 में तथा अन्य मुरब्बा नम्बर 4, 10, 21, 22 में रास्ता स्वीकृत है, जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में आज तक नहीं हुआ है। और वर्तमान में प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 8 में उक्त आदेशानुसार एक बिस्वा राजस्व रास्ता चालू है। उक्त रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 2 के यहां पेश होने पर अप्रार्थीगण प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थी के उपर्युक्त रकबा में रास्ता का इन्द्राज करने पर अमादा है, और अप्रार्थीगण प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 8 में जबरदस्ती रास्ता निकालने की फिराक में है। जबकि सत्यता यह है कि वर्तमान में उपरोक्त रकबा में कोई भी रास्ता चालू नहीं है और मुरब्बा नम्बर 8 के तमाम रकबा पर फसल काश्त की हुई है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को अपने रकबा की जमाबन्दी में रास्ता का इन्द्राज करने से व रकबा में जबरदस्ती रास्ता निकालने से रोक पाने का अधिकारी है। आदेश दिनांक 07.12.1978 को पारित किये हुए करीबन 42 वर्ष हो चुके है और इन 42 वर्षो में उपरोक्त मुरब्बाजात की परिस्थितियां में परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान में उपरोक्त मुरब्बाजात में वर्ष 1978 की परिस्थितियां ना होने के कारण आदेश दिनांक 07.12.1978 की किसी भी प्रकार से पालना नहीं की जा सकती है। उक्त आदेश दिनांक 07.12.1978 शून्य व अवैध हो चुका है, जो प्रार्थी के अधिकारों पर बेअसर है और अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसलिए प्रार्थी तथाकथित शून्य एंव अवैध आदेश दिनांक 07.12.1978 की पालना रूकवा पाने का अधिकारी है, और प्रार्थना पत्र ला पाने का अधिकारी है। आज से 2 रोज पूर्व प्रार्थी, अप्रार्थी से मिला और कहा कि प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 8 में वर्तमान में कोई रास्ता नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:12 IST
Reason: Self Attested

31/03/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

चल रहा है और ना ही जमाबन्दी में रास्ता अमल दरामद हुआ है। उक्त आदेश दिनांक 07.12.1978 शून्य व अवैध हो चुका है। इसलिए प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 8 की जमाबन्दी में रास्ता का इन्द्राज ना करे और जबरदस्ती रास्ता ना निकालें तथा मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में चल रहे रास्ता को स्वीकृत करवा लेवे, तो अप्रार्थी ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना जरूरी हो गया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के चक 4 वीं के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1 ता 25 के रकबा में आदेश दिनांक 07.12.1978 की रूह से रास्ता का अमल दरामद करने से तथा उक्त मुरब्बा में जबरदस्ती रास्ता निकालने से या किसी अन्य व्यक्ति से रास्ता निकलवाने से बाज व ममनू रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को विस्तारपूर्वक सुना। पत्रावली प्रार्थना पत्र, पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 चक 4 वीं के खाता संख्या 06/06, खाता संख्या 16/15 का गहनतापूर्वक अध्ययन एंव अवलोकन करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन किया। हम प्रकरण का निर्णयन निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर करना विधिसंगत समझते हैः-

**1.प्रथम दृष्टया मामला**:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं। चूंकि चक 4 वीं की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 06 के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1 ता 23 की 5.817 हैक्टर आराजी एंव खाता संख्या 16 के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 24 एंव 25 की 0.506 हैक्टर आराजी का प्रार्थी कृष्णराम अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा उपर्युक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। जिससे कि प्रार्थी के कथनों का खण्डन हो इस हेतु अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजात हस्तगत प्रार्थना पत्र में पेश नहीं किए है। अतः प्रार्थी स्वयं वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला भली-भांति प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

**2.सुविधा का संतुलन**:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीगण/वादीगण को अधिकतम असुविधा होगी। चूंकि राजस्व अभिलेखों के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी एकमात्र अभिलिखित खातेदार काश्तकार है और यह मान्य सिद्धान्त है कि अभिलिखित खातेदार होने पर वादग्रस्त आराजी उसके उपयोग व उपभोग में होती है। साथ ही हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण ने न तो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है। जिनके अवलोकन मात्र से यह प्रतीत हो कि वादग्रस्त आराजी के सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में हो। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी एकमात्र अभिलिखित खातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन भली-भांति प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

31/03/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:12 IST
Reason: SelfAttested

**3.अपूरणीय क्षतिः-** चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू, प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हो चुके है, साथ ही प्रार्थी द्वारा शपथपत्र पर यह कथन किया है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर 07.12.1978 के आदेश के तहत रास्ता का अमलदरामद कर सकते है। उस स्थिति में प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन में जटिलता अवश्यंभावी आऐगी। जिससे प्रार्थी को जो कि एकमात्र अभिलिखित खातेदार काश्तकार है उसे अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में मूलवाद पर गुणावगुण टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हो चुके है अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत/ उचित समझते है।

**-:आदेशः-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का पारित किया जाता है कि चक 4 वीं के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1 ता 25 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

31/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

31/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:12 IST
Reason: SelfAttested